जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.01.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले 20 वर्षीय युवती की उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.01.2025 को 12.47 PM बजे थाना बखिरा अन्तर्गत कुसुरु कला निवासी 20 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसके उपरान्त मेटा कम्पनी से अलर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग), लखनऊ, उ0प्र0 व सोशल मीडिया सेल सन्तकबीरनगर द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में थाना बखिरा/थाना मेंहदावल/ थाना बेलहरकला को वीडियो, मो0नं0 व युवती की लोकेशन उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके उपरान्त *प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रामकृपाल सिंह* के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष बेलहरकला श्री नन्दू गौतम, व0उ0नि0 श्री रजनीश राय थाना बखिरा, उ0नि0 श्री सहेन्द्र, हे0का0 मोती लाल यादव, हे0का0 हरी प्रसाद शर्मा द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले 20 वर्षीय युवती निवासी कुसुरु कला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के घर अविलम्ब पहुंचकर उसकी जान बचायी गयी तथा उसकी काउंसलिंग प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रामकृपाल सिंह द्वारा की गयी। काउंसलिंग के दौरान युवती द्वारा बताया गया कि प्रेम-प्रसंग में लड़का से बात नहीं हो रही थी इसीलिए मैंने फाँसी लगाने की पोस्ट डाल दी थी। युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी। युवती द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में लिखित व मौखिक बयान दिया गया। परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व आभार जताया गया।

पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रामकृपाल सिंह।
02. थानाध्यक्ष बेलहरकला उ0नि0 श्री नन्दू गौतम।
03. व0उ0नि0 श्री रजनीश राय (थाना बखिरा)।
04.उ0नि0 सहेन्द्र।
05. हे0 का0 मोती लाल यादव।
06. हे0का0 हरी प्रसाद शर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6001 को इवेंट सं0 42011 से थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बनियावारी प्राथमिक विद्यालय के पास सड़क दुर्घटना में 03 व्यक्तियों (01 हाजिर अली पुत्र अब्बास 2. जैतुन निशा पत्नी हाजिर अली 3.महक पुत्री मेंहदी हसन निवासीगण दलेलगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु जिलाअस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0 आ0 शैलेष यादव, आ0 अनुराग यादव, हो0चा0 राकेश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 144 वाहनों से 1,26,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 144 वाहनों से 1,26,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा डिजिटल वॉरियर्स कार्यशाला का किया गया आयोजन, 'डिजिटल वारियर्स (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉलेज के छात्रों का एक नेटवर्क) को भर्ती कर किया गया प्रशिक्षित।

आज दिनांक 22.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद *श्री अजित चौहान* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना *श्री आलोक सोनी* / प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री राकेश सिंह* व सोशल मीडिया सेल के नेतृत्व में *अवध गर्ल्स ईण्टर कालेज कड़जा सेमरियावा थाना दुधारा में विद्यालय के प्राचार्य, समस्त अध्यापकगण व छात्र / छात्रों को डिजिटल वॉरियर्स बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अध्यापकगण व छात्र/छात्राओं को डिजिटल वॉरियर्स के कार्य जैसे अफवाहों को रोकना, अफवाहों को खंडन करना, सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं उनका खंडन करना, सोशल मीडिया के किसी भी सूचना को बिना जाने समझे शेयर न करना, पुलिस के कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि के बारे में जानकारी दी गयी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 'डिजिटल वारियर्स (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉलेज के छात्रों का एक नेटवर्क) साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे, भ्रामक खबरों का मुकाबला करेंगे। आम नागरिकों को साइबर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करेंगे और पुलिस के सराहनीय कार्यों और अभियानों का प्रचार करेंगे। यूपी पुलिस की इस नई पहल का उद्देश्य स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना और साइबर खतरों की पहचान करने और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित करना है।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 22.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता संतोष यादव पुत्र रामपराग यादव निवासी भैसाखूट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए आज दिनांक 22.01.2025 को उसके घर भैसाखूट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। उक्त अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 22.01.2025 को उसके घर भैसाखूट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव, का0 विनय सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 22.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

*** "ऑपरेशन कनविक्शन व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के लज्जा भंग के मामले में 02 अभियुक्तगण को 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 11000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में **मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी** के फलस्वरुप आज दिनांक 22.01.2025 को श्रीमान **एससी/एसटी एक्ट जनपद सन्तकबीरनगर** द्वारा **थाना धनघटा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 628 / 2010 धारा 323, 34, 354, 504, 506 भादवि व 3(1), XI एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 1. झिन्नान यादव उर्फ रामजीत पुत्र रामफेर यादव 2. पप्पू धोबी पुत्र जवाहिर निवासीगण चकिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अभि0गण झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव पुत्र पप्पू धोबी को मु0अ0सं0 628/10 थाना धनघटा में धारा 323 भा0द0वि0 में प्रत्येक को 06 माह के कारावास तथा 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अन्तर्गत धारा 504 भा0द0वि में प्रत्येक को 01 वर्ष के कारावास तथा 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अन्तर्गत धारा 506 भा0द0वि0 में प्रत्येक को 01 वर्ष तथा 1000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अन्तर्गत धारा 354 भा0द0वि0 में प्रत्येक को 02 वर्ष 06 माह के कारावास तथा 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। धारा 357 द0प्र0स0 के अन्तर्गत पीड़िता को अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि मे से आधी धनराशि प्रादान किया जाय।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 22.01.2025 को ***न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1410/2016 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट मामलें में अभियुक्त नाम पता मौजम बंजारा पुत्र घोंघे बंजारा निवासी तरकुलवा भटगांव थाना श्याम देउरवा जनपद महराजगंज को दोंषसिद्धि के आधार पर धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में 05 वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिती में अभियुक्त को 15 दिवस कारावास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ संयोजित किया जायेगा। अभियुक्त मौजम बंजारा को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार महाराजगंज प्रेषित किया जाए।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व कुल 10000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 22.01.2025 को ***न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 01- कमरुद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, 02- आरिफ पुत्र मोईन निवासी पहाड़पुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में 02-02 वर्ष के कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 15 दिवस कारावास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ संयोजित किया जायेगा। अभियुक्तगण आरिफ व कमरुद्दीन को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाए।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में 04 अभियुक्तो को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 7000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 22.01.2025 को ***अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 606/2017* धारा 354क/323/452/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01-राजबब्बर, 02- रवि, 03- देवानन्द उर्फ झिन्ना, 04 आनन्द पुत्रगण रंगीलाल निवासीगण खजुरिया खुर्द थाना महुली जनपद संतकबीरगनर को मु0अ0स0 606/2017 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त रवि को धारा 323/354ए/452 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है परन्तु अभियुक्त रवि को धारा 506 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण राजबब्बर, देवानन्द उर्फ झिन्ना व आनन्द को धारा 452/506 भा0द0वि0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त के जमानतदारों व बन्धपत्र निरस्त किये जाते है । अभियुक्तगण रवि, राजबब्बर, देवानन्द उर्फ झिन्ना व आनन्द को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त रवि को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भोगना होगा व 452 भा0द0वि0 के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भोगना होगा। धारा 323 भा0द0वि0 के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधाराण भोगना होगा। अभियुक्त राजबब्बर को 323 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त देवानन्द उर्फ झिन्ना को धारा 323 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त आनन्द को 323 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध की उपरोक्त सजाएं साथ साथ चलेंगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा में अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले की कारावास की अवधि से मुजरा किया जाएगा। पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि 7000 रु0 प्रदान किया जावे।